

(75/14) 14/15



21/11/15

न्यायालय परगनाधिकारी तहसील महाराज गंज (सदर)
वाद संख्या - 26 धारा 143 यू0पी0जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एकट

ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा,
जनपद महाराज गंज 200011

शांति फाउण्डेशन बनाम सरकार
नकल - निर्णय, दिनांक 21/11/15

प्रस्तुत वाद श्री शांति फाउण्डेशन स्थित 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोखपुर द्वारा मुख्य ट्रस्टी अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री केशव चन्द श्रीवास्तव निवासी 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोरखपुर द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के प्रार्थना पत्र पर प्राप्त तहसीलदार सदर महाराज गंज आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार सदर महाराज गंज ने अपनी आख्या दिनांक 03-01-2015 प्रस्तुत करते हुए तथा प्रार्थी/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नकल खतौनी और प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराज गंजके खसरा नं0 1708 क्षेत्रफल 0.785 है0 लगानी 19.40 रु0 सालाना जो कि माल कागजात में वादी/संस्था के नाम बतौर संक्रमण भूमिधर दर्ज कागजात है, को आबादी दर्ज कराने की प्रार्थना के साथ अकृषक भूमि प्रयोग होने के कारण प्रस्तुत किया था, में वर्तमान में निर्माण कार्य होना व्यक्त करते हुए उक्त समस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पक्ष उ0प्र0 सरकार के द्वारा नामिका वकील को समन जारी किये गये, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली हैं।

मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिक परिशीलन किया। वादी ने दिनांक 20-12-2014 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी संक्रमणीय भूमिधरी को अकृषक घोषित कर

— 2 पर

Trustee
Shanti Foundation
Gorakhpur

दिया जाये। तहसीलदार की जांच से स्पष्ट हुआ कि खसरा नं० 1708 क्षेत्रफल 0.785 है० लगानी 19.40 रु० सालाना में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा मौके पर निर्माण चल रहा है। धारा-143 के अन्तर्गत किसी गाटे को आबादी/अकृषिक तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसका वास्तविक उपयोग और कृषि प्रयोजन में किया जा रहा हो। उपरोक्त गाटों को वास्तविक रूप से कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है तथा समस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रह गयी है, आबादी के रूप में प्रयोग की जा रही है और निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि को नियमानुसार धारा-143, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की तहत आबादी घोषित कर दिया जाये।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर घोषित किया जाता है कि ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराज गंज के खसरा नं० 1708 क्षेत्रफल 0.785 है० लगानी 19.40 रु० सालाना का अकृषिक उपयोग किये जाने के कारण आबादी घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति निबन्धक सदर महाराज गंज को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 21-01-2015

उपजिलाधिकारी
सदर महाराज गंज

निकल बहाल का दिनांक 19/15
निकल जमी का दिनांक 27/1/15
निकल जमी का दिनांक 28/1/15
निकल जमी का दिनांक 28/1/15

सत्य प्रतिलिपि
27-1-15

Trustee
Shanti Foundation
Gorakhpur